संख्या-16/2016/241/ एक-4-16-13बी-4/14

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ।

2- जिलाधिकारी, बहराइच ।
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2016**

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में नवसृजित तहसील- पयागपुर में विभिन्न श्रेणी के 19 पदों का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-44/12-3सी/2015, दिनांक 04-02-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि श्री राज्यपाल, जनपद बहराइच की नवसृजित तहसील पयागपुर के लिए निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख लिखित वेतनमानों में आदेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

कं0 सं0	पदनाम	वेतनमान		मानक के अनुसार नवसृजित तहसीलों हेतु पदों की संख्या	नवसृजित तहसील हेतु सृजित प्रस्तावित पदों की संख्या
		वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)		
1	2	3	4	5	6
1	उप जिलाधिकारी	15600-39100	5400	01	01
2	तहसीलदार	15600-39100	5400	01	01
3	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	04	04
4	आशुलिपिक	5200-20200	2800	01	01
5	राजस्व निरीक्षक (पूर्व पदनाम रजिस्ट्रार कानूनगो)	5200-20200	2800	01	01
6	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	04	04
7	वाहन चालक	5200-20200	1900	02	02
8	चौकीदार	इन पदों का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जायेगा।		01	01
9	चपरासी			03	03
10	जमादार			01	01
योग				19 पद	19 पद

1) उक्त पदो के धारकों को समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हो, देय होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2) उक्तानुसार सृजित किये जा रहे समस्त श्रेणी के पदों को उपलब्ध सेवा नियमावली के संगत उपलब्ध कैडर में वृद्धि के रूप में सम्मिलित माना जायेगा।

3) सारिणी के क्रमांक-8, 9 व 10 पर उल्लिखित चतुर्थ श्रेणी के पदों का कार्य केवल आउट सोसिंग के माध्यम से कराया जायेगा।

2- राजस्व निरीक्षक के पदों को छोडकर इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-50 के अधीन लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03- कलेक्ट्री स्थापना के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

3- राजस्व निरीक्षक के पदों पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-52 के अधीन लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-आयोजनेत्तर-103-भू-अभिलेख-04-जिला व्यय के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-ई- 5-723 /दस-2016, दिनांक 31 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव ।

संख्या-16/2016/241(1)/एक-4-16-13बी-4/14-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम),उ0प्र0, इलाहाबाद/महालेखाकार लेखा परीक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, बहराइच ।
3- कोषाधिकारी, बहराइच ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/5
4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
6- नियुक्ति अनुभाग-2
7- राजस्व अनुभाग-5/6 एवं 9
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in